केन्द्रीय स्कीम की राशि

संos०-3/यो-स०क०-48/2023/........08

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

स्वीकृत्यादेश

(संख्या /2024-25)

प्रेषक,

नवीन कुमार सिंह, (भा०प्र०से०),
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना। पटना, दिनांक -....8-1-2025........

विषय:- वितीय वर्ष 2024-25 में मिशन शक्ति के तहत केन्द्र प्रायोजित सम्बल उप योजना अन्तर्गत महिला हेल्पलाईन योजना के संचालनार्थ में रू० 38.46 लाख (अडतीस लाख छियालिस हजार) रू० मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महिलाओं को 24x7 पद्वति के माध्यम से आकस्मिक अथवा गैर आकस्मिक सहायता त्वरित गति से प्रदान करने के साथ उनके हितों के कल्याणार्थ राज्य में संचालित योजनओं की अद्यतन जानकारी उन्हें उपलब्ध कराने एवं आकस्मिक अवस्था में पडी महिलाओं/बालिकाओं को वांछ्नीय सहायता उपलब्ध कराने के निमित मिशन शक्ति के तहत केन्द्र प्रायोजित सम्बल उप योजना अन्तर्गत महिला हेल्पलाईन कार्यान्वित किया जा रहा है। वितीय वर्ष 2024-25 में मिशन शक्ति के तहत केन्द्र प्रायोजित सम्बल उप योजना अन्तर्गत महिला हेल्पलाईन योजना के संचालनार्थ कुल रू० 162.57 लाख (एक करोड बासठ लाख संतावन हजार) रू० मात्र के व्यय की स्वीकृति विभागीय पत्रांक 64 दिनांक 21.06.2024 द्वारा प्रदान की गई है। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के आलोक में द्वितीय अनुपूरक से प्राप्त रू० 38.46 लाख (अडतीस लाख छियालिस हजार) रू० मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र	योजना का नाम एवं विपत्र कोड	PFMS Code	विषय शीर्ष	पूर्व में स्वीकृत राशि	अतिरिक्त स्वीकृत राशि
1	मिशन शक्ति (सम्बल)- महिला हेल्पलाईन विपत्र कोड (51-2235021030232)	3979	0232.3104, 31.06	162.57	38.46
कुल (अडतीस लाख छियालिस हजार रूपये मात्र)					38.46

2. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु आई.सी.डी.एस. निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर लेखा पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस. निदेशालय, जिला स्तर पर सभी 38 जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं प्रखंड/परियोजना स्तर पर सभी 544 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन. पदाधिकारी घोषित हैं।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश/CFMS में प्राप्त राशि के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वितीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक 214/वि० दिनांक 06.03.2024, 3576/वि० दिनांक 01.04.2024, 730/वि० दिनांक 09.12.2024 एवं समय समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों / परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. यह स्वीकृत्यादेश संचिका सं0- 3/यो-स०क०-48/2023/ के टिप्पणी पृष्ट सं0-11/टि0 पर दिनांक 24.12.2024 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका सं0-3/यो-स०क०-48/2023/ के टिप्पणी पृष्ट सं0-15/टि0 पर दिनांक 08.01.2025 को अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।

7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

08/01/25

अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- 3/यो-स०क०-48/2023/........ 08 /......................../दिनांक- 8-1-2025

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, आई.सी.डी.एस., निदेशालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

08/01/25

अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- 3/यो-स०क०-48/2023/........ 08 /......................../दिनांक- 8-1-2025

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

08/01/25

अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- 3/यो-स०क०-48/2023/........08 /......................../दिनांक- 8-1-2025

प्रतिलिपि –विभागीय आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

08/01/25

अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- 3/यो-स०क०-48/2023/........08 /......................../दिनांक- 8-1-2025

प्रतिलिपि –अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

08/01/25

अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।